स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 18/02/2020

File No. BLA/2/2019/STGCG/SEOTH/RU-III

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सी एम सचिवालय,
डी.के.एस भवन, मंत्रालय,
रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001

2. सचिव,
ऊर्जा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी,
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर,
छत्तीसगढ़ – 492001

विषयः **छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मर्यादित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों से कम से कम दो प्रबंध संचालक नियुक्त करने बाबत् श्री बी.एल.साय, महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ, छ.ग. म. नं. – सी/28, गोल चौक, रोहिणीपुरम, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492010 से प्राप्त दिनांक 02.12.2019 के अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 17.01.2020 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 17.01.2020 को 02.00 बजे डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को एक माह (30 दिनों) के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर.के.दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि पेषित सूचनार्थः

1. श्री बी.एल.आर्य, महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ, छ.ग.,
म.नं. – सी/28, गोल चौक,
रोहिणीपुरम, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492010
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- BLA/2/2019/STGCG/SEOTH/RU-III)

श्री बी. एल. आर्य, महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी/ कर्मचारी संघ, छ.ग., म.नं.- सी/28, गोल चौक, रोहिणीपुरम, रायपुर का छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मर्यादित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्गों से कम से कम दो प्रबंध संचालक नियुक्त करने के विषय में अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 17.01.2020

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

1. श्री बी. एल. आर्य, महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी/ कर्मचारी संघ, छ.ग., म.नं.- सी/28, गोल चौक, रोहिणीपुरम, रायपुर का छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मर्यादित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्गों से कम से कम दो प्रबंध संचालक नियुक्त करने के विषय में अभ्यावेदन दिया गया था। प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 17/01/2020 को बैठक निर्धारित की गई थी। दिनांक 06/01/2020 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ को बैठक की नोटिस जारी किया गया था।
2. प्रकरण में दिनांक 17/01/2020 को निर्धारित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से श्री मो. कैसर, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और श्री सुनील कुमार, एल.एस उपस्थित हुए।
3. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल 5 कंपनियों में विभाजित हो गया। उस समय तक अनुसूचित जनजाति वर्ग से किसी को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नहीं बनाया गया था क्योंकि इससे हमारे लोग समूह 'क' के पदों पर चले जाएंगे। विभाग में यह षडयंत्र काफी दिनों तक चलता रहा। वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जब समूह 'क' से समूह 'क' में पदोन्नति का आदेश शासन ने दिया है तब इन्हें क्यों वंचित रखा जाए। जब वर्ष 2009 में कंपनी बना तो हमारी मांग थी कि राज्य में जब 45 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है तो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम 2 अधिकारी अनुसूचित जनजाति वर्ग से नियुक्त किया जाना चाहिए।
4. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए बोर्ड के द्वारा वर्ष

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2010-11 में आरक्षित वर्ग को अलग से पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिस भी किसी अधिकारी का कार्यकाल 10-12 वर्ष हुआ है उसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ईडी के पद तक पदोन्नति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन की पदोन्नति पॉलिसी को लेकर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सदस्य उच्च न्यायालय गए थे, न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया इसके कारण अभी पदोन्नति लंबित है अन्यथा कंपनी पदोन्नति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

5. अभ्यावेदक ने बताया कि दिनांक 08/01/2019 को उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्य सरकार आंकड़े प्रस्तुत करे कि राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं। राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 32 प्रतिशत है तो हमें इस अनुपात में पदोन्नति मिलनी चाहिए। पिछले 7 वर्ष में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी ग्रेडेशन सूची में ऊपर हैं लेकिन इसके बाद भी पदोन्नति नहीं दी गई है। मेरिट में आने के बाद भी पदोन्नति नहीं मिली है।
6. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण रहना चाहिए या नहीं इस विषय पर उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है। इन्हें पदोन्नति देने के लिए ही बोर्ड ने पदोन्नति कैडर को अलग करने का निर्णय लिया और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद शासन द्वारा इस संबंध में नियम बनाया जाएगा। निर्णय आने से पहले इस वर्ग को पदोन्नति देने के लिए बोर्ड के द्वारा अलग नीति बनाई गई है।
7. अभ्यावेदक ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक मंडल के 11 पदों में अनुसूचित जनजाति को 2 पद मिलने चाहिए। प्रतिनिधित्व के आधार पर निदेशक और प्रबंध निदेशक के पद पर अनुसूचित जनजाति के अधिकारी नियुक्त किए जाएं। स्थानांतरण नीति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। नई स्थानांतरण नीति के अनुसार सुदूर क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा देना अनिवार्य है लेकिन इसके बाद भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सुदूर क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है और सामान्य वर्ग के लोग लंबे समय से रायपुर में पदस्थ हैं।
8. कंपनी के नियम के अनुसार राज्य सरकार निदेशक मंडल के सदस्यों को नियुक्त करती है। निदेशक और प्रबंध निदेशक का पद पदोन्नति की श्रेणी का नहीं है। ऊर्जा विभाग और कई अन्य सचिवों को निदेशक और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है।
9. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की :-

    - छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक मंडल में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कम से कम दो सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए तथा ग्रेडेशन सूची की समीक्षा की जानी चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- BLA/2/2019/STGCG/SEOTH/RU-III)

श्री बी. एल. आर्य, महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी/ कर्मचारी संघ, छ.ग., म.नं.- सी/28, गोल चौक, रोहिणीपुरम, रायपुर का छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मर्यादित छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्गों से कम से कम दो प्रबंध संचालक नियुक्त करने के विषय में अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.) डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
(2.) श्री के. तऊथांग, संयुक्त सचिव
(3.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
(4.) श्री आर. के. दुबे, स. निदेशक
(5.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक

- **छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी**

(1.) श्री मो. कैसर, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग
(2.) श्री सुनील कुमार, एल.एस, ऊर्जा विभाग

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री बी. एल. आर्य
(2.) श्री एच. के. मेश्राम
(3.) श्री एस. के ठाकुर